

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 0151-2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- Bikanernagarnigam@gmail.com Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / बीननि / फायर / 2015 / 10369 - 70

25 मई, 2015

-: संशोधन पत्र :-

मैसर्स पीयरलेस ओरिओन,
पार्टनर मनोज हंस पुत्र श्री वेदप्रकाश,
तिलक नगर,
बी का ने र

विषय :- अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पीयर लेस ओरिओन जरिये पार्टनर श्री मनोज हंस पुत्र श्री वेदप्रकाश हंस जरिये आवेदन-पत्र दिनांक 27.03.2014 प्रस्तुत कर खसरा संख्या 94/19 पर बहुमंजिला भवन बनाने की स्वीकृति नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा आपको स्वीकृति दिनांक 29.08.2013 से प्राप्त की हुई है। जिसके लिए फायर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा गया है। इस संबंध में भुखण्ड/खसरा संख्या 94/19 तिलक नगर, बीकानेर का मौका निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त स्थान पर फायर गाड़ी के आवागमन हेतु सुविधा है। बहुमंजिला बिल्डिंग का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से अस्थाई अग्नि प्रमाण-पत्र की अभिशंषा की जाती है :-

1. बिल्डिंग के चारों ओर फायर गाड़ी घुमने, खड़ा होने के लिए पर्याप्त स्थान/रोड हानों चाहिए।
2. बिल्डिंग में अग्निशमन व बचाव संबंधी नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
3. प्रावधानों के प्रत्येक फ्लोर पर फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, होज व ब्रांच एवं फायर अलार्म होना चाहिए।

4. बिल्डिंग में राईजर, स्प्रिंगकलर सिस्टम लगा होना चाहिए।
5. बिल्डिंग में अमरजेन्सी के दौरान लोगों के बाहर निकलने के लिए अमरजेन्सी जीने व दरवाजे होने चाहिए जो चौड़े हैं।
6. बिल्डिंग की सीढ़ियों पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए।
7. बिल्डिंग में अमरजेन्सी गेट की तरफ जाने वाले रास्ते पर निशान लगे होने चाहिए।
8. बिल्डिंग में वेंटीलेटर होने चाहिए।
9. बिल्डिंग में टैरस व रिफ्युज ऐरिया बिल्डिंग के अनुसार बनाये जाने चाहिए।
10. बिल्डिंग में फायर निरोधक दरवाजे होने चाहिये।
11. बाहर निकलने का रास्ता सीधा गली में हो।
12. बिल्डिंग में उचित निकासी व्यवस्था करनी होगी व अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था चालू स्थिति में रखनी अनिवार्य होगी।
13. बिल्डिंग में पानी स्रोत, जिस में स्टेटिक टैंक व ओरव हैड टैंक होने चाहिए जिसमें अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए।
14. बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल फायर पम्प, डीजल फायर पम्प एवं जोकि फायर पम्प होने चाहिए।
15. बिल्डिंग में अग्निशमन सुविधाओं संबंधी प्रावधानों की समय-समय पर वार्षिक फायर ऑडिट दमकल विभाग से करवाना होगा एवं दमकल विभाग के निर्देशों की पालना करनी होगी।


सहायक अग्निशमन अधिकारी
बीकानेर नगर निगम


आयुक्त
बीकानेर नगर निगम